

प्रथम पत्र

अंचल अधिकारी का कार्यालय, कसमार

अनुसूची 10 - फारम सं० 562।




आदेश - पत्रक

(देखे अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक/ता०.....सेतक

जिला- बोकारो, विविध वाद सं०सन् 2022-23

केस का प्रकार - विविध वाद के तहत ऑनलाईन पंजी 2 में प्रविष्टि।

| आदेश की क्रम सं० और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ |
|---------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 07.02.2023 | <p>आवेदक श्री कमलेश्वर महतो, पिता स्व० रामेश्वर महतो, ग्राम-सिंहपुर, पंचायत-सिंहपुर, थाना-कसमार, जिला- बोकारो के द्वारा आवेदन ऑनलाईन पंजी 2 पर प्रविष्टि करने हेतु दिया गया है, जिसकी मौजा सिंहपुर, थाना संख्या 140, खाता संख्या 23, प्लॉट संख्या 202, 203, 206, 210 कुल रकवा 0.50½ ए० वर्गित हैं। इसकी प्रविष्टि झारभूमि पोर्टल पर ऑनलाईन नहीं है। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन मांगे।</p> <p>लेखापित  अंचल अधिकारी कसमार।</p> <p>अंचल अधिकारी कसमार। 7.2.2023</p> | |
| 17.02.2023 | <p>अभिलेख उपस्थापित। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक से प्राप्त आवेदन की जाँच कराई गई, जाँचोपरान्त प्रतिवेदित है कि आवेदित भूमि रैयती खाते की है। जिसका जमाबंदी हल्का पंजी 2 के पृष्ठ संख्या 34B/II में दर्ज है। लगान रसीद वर्ष 2015-16 तक निर्गत है। भूमि आवेदक के दखल में है। अतः ऑनलाईन पंजी 2 में जमाबंदी दर्ज किया जा सकता है।</p> <p>संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं मैनुअल पंजी 2 के आधार पर मौजा सिंहपुर, थाना संख्या 140, खाता संख्या 23, प्लॉट संख्या 202,203,206,210 कुल रकवा 0.50½ ए० की ऑनलाईन पंजी 2 में प्रविष्टि करने की स्वीकृति दी जाती है।</p> <p>लेखापित  अंचल अधिकारी कसमार।</p> <p>अंचल अधिकारी कसमार। 17.2.2023</p> | |
| 24.02.2023 | <p>अभिलेख उपस्थापित। झारभूमि पोर्टल पर उक्त आवेदन में वर्णित खाता/प्लॉट के भूमि की ऑनलाईन प्रविष्टि कर दी गई है। अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।</p> <p>लेखापित  अंचल अधिकारी कसमार।</p> <p>अंचल अधिकारी कसमार। 24.2.2023</p> | |